Result Mitra







# मूल अधिकार
# Fundamental Right

# Directive Principles of state policy
# (राज्य के नीति निदेशक तत्व)

- Part - IV (A. 36-51)
- प्रावधान - आयरलैंड से
- B.R. Ambedkar - Novel features of Indian Constitution
- Granvile Austin - F.R. + DPSP - संविधान की अन्तआत्मा (Conscience)
- F.R.+DPSP - संविधान का दर्शन

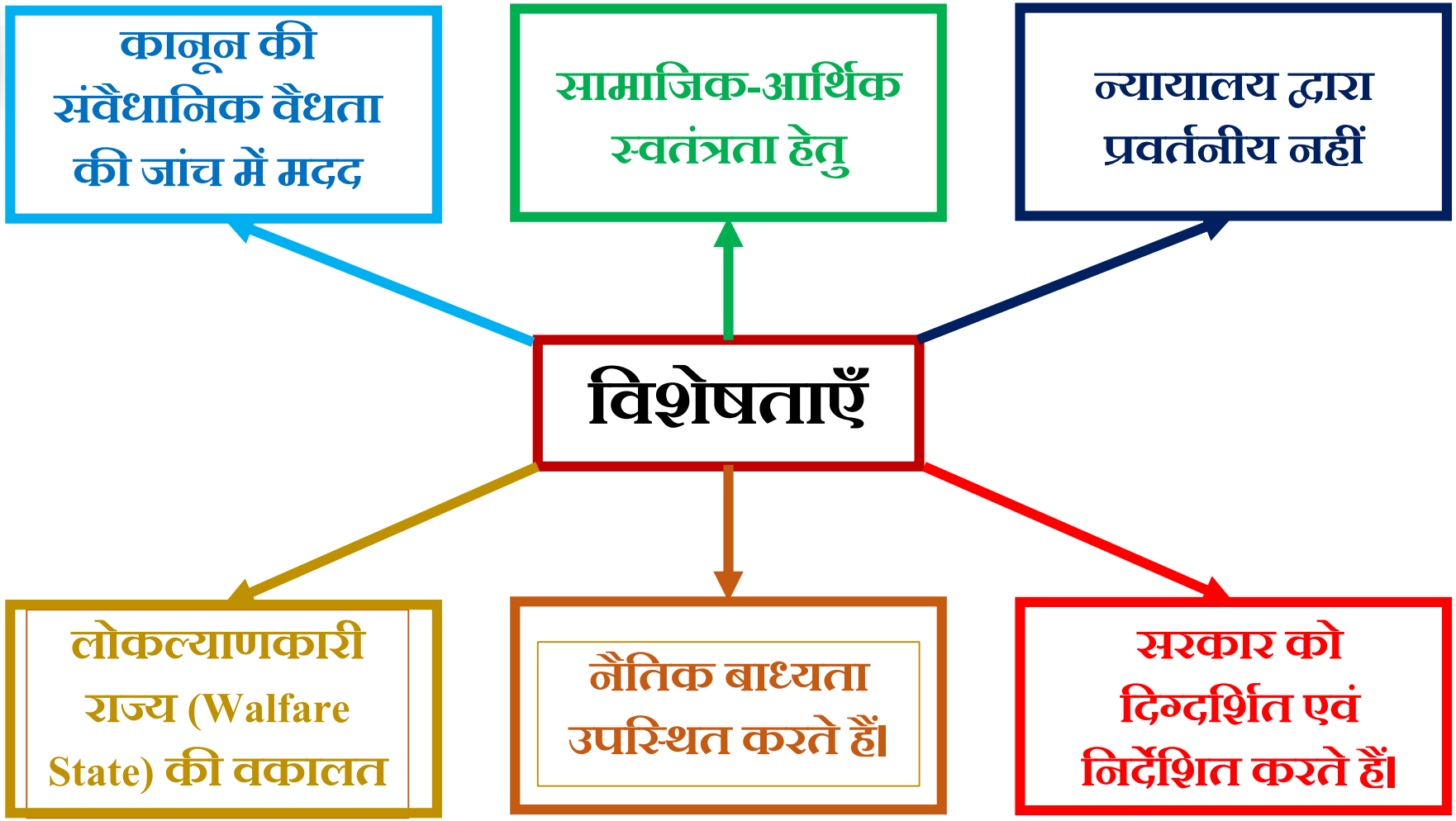

# विशेषताएँ

- कानून की संवैधानिक वैधता की जांच में मदद
- सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता हेतु
- न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं
- लोकल्याणकारी राज्य (Walfare State) की वकालत
- नैतिक बाध्यता उपस्थित करते हैं।
- सरकार को दिग्दर्शित एवं निर्देशित करते हैं।

## प्रमुख संशोधन

- 42 CAA, 1976 - 39A, 43A तथा 48 (A) जोड़ा गया
- 44 CAA, 1978 - A 39 की भाषा में संशोधन
- 86th CAA, 2000 A. 45 - 6-14 Year - 0-6 Year

↓

Primary Education

↓

21 (A)

- 97th CAA, 2011 - 43 (B) Co-Operation (सहकारी समितियां)

# DPSP का वर्गीकरण

- समाजवादी (Socialist)
- गांधीवादी
- बौद्धिक-उदार (LIberal-Intellectual)

# समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश

## अनुच्छेद 38

- राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

## अनुच्छेद 39

- राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा

- सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार
- भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना।
- कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेन्द्रित होने से बचाना।

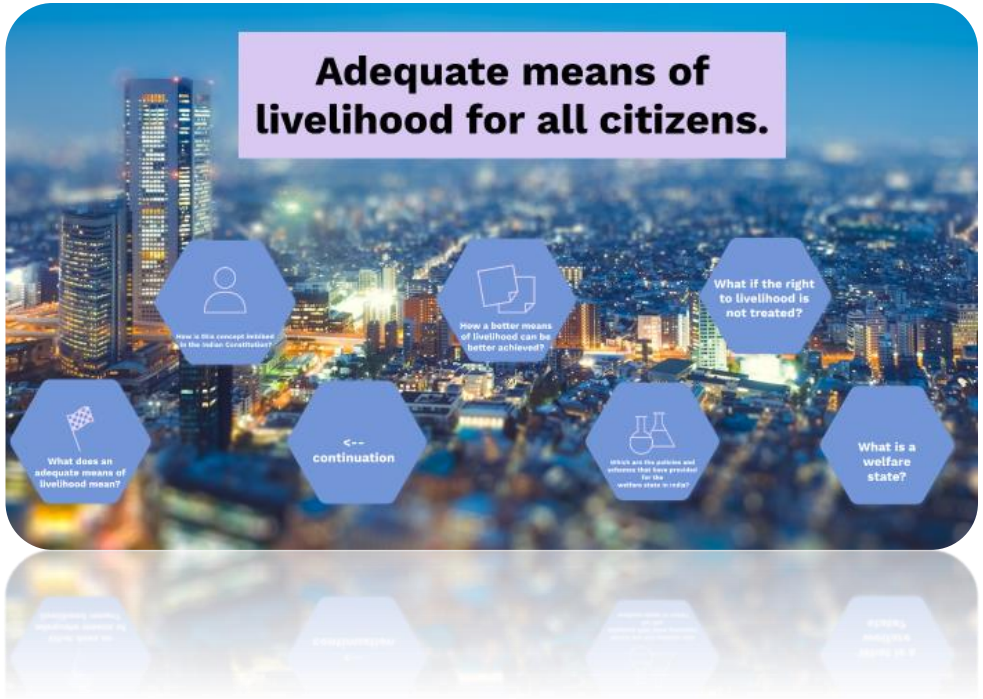

- पुरूषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन।
- श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा।
- बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना।

## अनुच्छेद 41

- बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना।

## अनुच्छेद 42

- राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।

## अनुच्छेद 43

- राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

## अनुच्छेद 43A

- उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

## अनुच्छेद 47

- लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना।

# गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश

## अनुच्छेद 40

- राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा।

## अनुच्छेद 43

- राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

## अनुच्छेद 43B

- सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना।

## अनुच्छेद 46

- राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा।

## अनुच्छेद 47

- राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा।

## अनुच्छेद 48

- गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए।

# उदार-बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश

## अनुच्छेद 44

- भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना।

## अनुच्छेद 45

- सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना।

## अनुच्छेद 48

- कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना।

## अनुच्छेद 48A

- पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना।

## अनुच्छेद 49

- राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना।

## अनुच्छेद 50

- राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना।

## अनुच्छेद 51

- यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा:

- राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना।
- मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारें को प्रोत्साहित करना।